

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2018

G.S.R. (E) ____ In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called The National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) “Authority” means the National Financial Reporting Authority constituted under sub-section (1) of section 132 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Composition of Authority.— (1) The Authority shall consist of the following persons to be appointed by the Central Government, namely:-

(a) a chairperson;

(b) three full time members; and

(c) nine part time members.

(2) The chairperson shall be a person of eminence, ability, integrity and standing and having expertise and experience of not less than twenty-five years in the field of accountancy, auditing, finance or law.

(3) A full-time member shall be a person of ability, integrity and standing and having expertise and experience of not less than twenty years in the field of accountancy, auditing, finance or law.

(4) The chairperson and all members, before being appointed, shall submit a declaration to the Central Government confirming that they have no conflict of interest or lack of independence in respect of such appointment as chairperson or members in Form I annexed to these rules, failing which their appointment shall not be considered.

(5) The chairperson and full-time members, shall not be associated with any audit firm including related consultancy firms during the course of their appointment and two years after ceasing to hold such appointment.

(6) A part-time member shall be a person who shall not, have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a part-time member.

4. Manner of appointment.- (1) The Central Government shall appoint the chairperson and a full time member referred to in rule 3 on the recommendation of a search-cum-selection committee consisting of –

- (a) Cabinet Secretary - Chairperson;
- (b) Additional Principal Secretary to the Prime Minister – Member;
- (c) Secretary – Ministry of Corporate Affairs– Member;
- (d) Chairperson, National Financial Reporting Authority (for selection of full-time members) – Member;
- (e) three experts of repute from a panel of experts in the field of accountancy, auditing, finance, law (to be nominated by the Central Government) - Members

(2) The Secretary, Ministry of Corporate Affairs shall be the convener of the search-cum-selection committee.

(3) The search-cum-selection committee shall determine its procedure for making its recommendation.

(4) No appointment of chairperson or a full time member shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the search-cum-selection committee.

(5) The search-cum-selection committee shall make its recommendations in regard to appointment of chairperson or the members, as the case may be, to the Central Government within a period not exceeding one hundred and twenty days from the date of reference made to it by the Central Government.

(6) The following persons shall be appointed as part time members of the Authority namely:-

- (i) one member to represent the Ministry of Corporate Affairs, who shall be an officer not below the rank of Joint Secretary, *ex-officio*;
- (ii) one member to represent the Comptroller and Auditor General of India, who shall be an officer not below the rank of Accountant General or Principal Director, *ex-officio*;

- (iii) one member to represent the Reserve Bank of India, who shall be an officer not below the rank of Executive Director, *ex-officio*;
- (iv) one member to represent the Securities and Exchange Board of India, who shall be an officer not below the rank of Executive Director, *ex-officio*;
- (v) President, Institute of Chartered Accountants of India, *ex-officio*;
- (vi) Chairperson, Accounting Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India, *ex-officio*;
- (vii) Chairperson, Auditing and Assurance Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India, *ex-officio*; and
- (viii) two experts from the field of accountancy, auditing, finance or law.

5. Medical fitness.—No person shall be appointed as the chairperson or full time member unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

6. Resignation.— The chairperson or a member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign from his office at any time:

Provided that the chairperson or member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

7. Removal from office.— (1) The Central Government may, on the recommendation of a Committee referred to in sub-rule (1) of rule 4, remove from office the chairperson or a member, who—

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as the chairperson or member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the chairperson or member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the chairperson or the interested member shall not be the member of such Committee, where the subject matter of the cause is against him.

(2) No member shall be removed under clauses (b) to (e) of sub-rule (1) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

8. Procedure for inquiry of misbehavior or incapacity of the chairperson or a member.— (1) If a written complaint is received by the Central Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of the chairperson or a full time member, the Ministry of Corporate Affairs shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If on preliminary scrutiny, the Ministry of Corporate Affairs, is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any such misbehavior or incapacity of the chairperson or full time member, it shall make a reference to the Committee constituted under sub-rule (1) of rule 4 to conduct the inquiry:

Provided that the chairperson or the interested member shall not be the member of such committee, where the subject matter of the cause is against him.

(3) The Committee shall complete the inquiry within one hundred and twenty days time or such further time as may be extended by the Central Government on the request of the committee in this behalf.

(4) After the conclusion of the inquiry, the Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons thereof on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(5) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

9. Term of Office.— (1) The term of office of the chairperson and a full time member shall be three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment for one more term.

(2) A part-time member shall hold office for a period, not exceeding three years, as may be specified in the order of his appointment or the period for which he holds the substantive post by virtue of which he has been appointed as the part-time member, whichever is earlier, but shall be eligible for re-appointment.

10. Vacancy.— In case of a vacancy in the office of the chairperson or a full-time member, the Central Government shall have the power to appoint the senior most full-time member or in his absence any other full time member to officiate as chairperson.

11. Salary and allowances.—(1) The chairperson shall be paid a salary of two lakhs fifty thousand rupees (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay.

(2) A full time member shall be paid a salary of two lakhs twenty-five thousand rupees and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government Officer holding a Group 'A' post carrying the same pay.

(3) In case the person appointed as the chairperson or full time member is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

12. Pension, Gratuity and Provident Fund.— (1) The chairperson or a full time member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 and the Contribution Pension System.

(2) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Authority.

13. Leave.— (1) The chairperson and a full time member shall be entitled to following leave, namely :—

(a) earned leave at the rate of thirty days for every completed calendar year of service;

(b) casual leave, not exceeding eight days in a calendar year.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The chairperson or a full time member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

14. Leave and Foreign Travel Sanctioning Authority. – (1) The leave sanctioning authority,—

(a) for a full-time member, shall be the chairperson and in case of absence of chairperson, the Central Government; and

(b) for the chairperson, shall be the Central Government.

(2) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel of the chairperson or a full-time member.

15. House rent allowance.—The chairperson or a full time Member shall be entitled to the house rent allowance at the same rate as are admissible to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying the same pay:

Provided that the chairperson or a full-time member shall not be eligible for house rent allowance in case he is declared eligible for general pool residential accommodation and occupies Government accommodation allotted to him.

16. Transport allowance.—The chairperson or a full time member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities as are admissible to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying the same pay as per the provisions of applicable staff car rules.

17. Declaration of Financial and other Interests.—The chairperson or a full time member shall, before entering upon his office, declare his assets, liabilities and financial and other interests.

18. Other conditions of service.—(1) The terms and conditions of service of a chairperson or a full time member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying the same pay.

(2) The chairperson or a full time member shall not practise before the Authority after retirement or resignation or removal from the service of the Authority.

(3) The chairperson or a full time member shall not undertake any arbitration work while functioning in the Authority.

(4) The chairperson or a full time member shall not, for a period of two years from the date on which he ceases to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Authority:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

19. Oath of office and secrecy.—Every person appointed to be the chairperson or a full time member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form II and Form III annexed to these rules.

20. Sitting fee and allowances of Part-time Members. – (1) A part-time member other than those holding the position on *ex-officio* basis, shall be entitled to receive

remuneration by way of a sitting fee of rupees six thousand only for each meeting of the Authority attended by him.

(2) A part-time member while on tour (including the journey undertaken to attend a meeting of the Authority) shall also be entitled to travelling allowance and daily allowances at the same rates and scale as are applicable to a Group A officer in Senior Administrative Grade in the Central Government.

21. Power to Relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

22. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.

FORM I
(See rule 3)

Declaration by chairperson and member regarding no conflict of interest or lack of independence.

I, A.B., having been appointed as the Chairperson / Full time Member/ Part time Member of the Authority, declare that there is no conflict of interest or lack of independence in respect of my appointment.

FORM II
(See rule 19)
Form of Oath of Office

I, A. B., having been appointed as chairperson / full time Member of the Authority do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the chairperson / Full time Member of the Authority to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

FORM III
(See rule 19)

Form of Oath of Secrecy

I, A. B., having been appointed as the chairperson / full time Member of the Authority, do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly

- 7 -

communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as chairperson / full time member of the Authority except as may be required for the due discharge of my duties as the chairperson / full time member of the Authority.

[File No. 1/4/2016-CL.I]


(K.V.R. Murthy) 21/3/18

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 21 मार्च, 2018

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं -** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भित अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. **प्राधिकरण का संगठन -** प्राधिकरण में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित व्यक्ति होंगे -

(क) एक अध्यक्ष;

(ख) तीन पूर्णकालिक सदस्य और

(ग) नौ अंशकालिक सदस्य।

(2) अध्यक्ष प्रतिष्ठा प्राप्त, योग्य, सत्यनिष्ठ व्यक्ति होंगे जो लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्त या विधि के क्षेत्र में न्यूनतम पच्चीस वर्षों की विशेषज्ञता और अनुभव रखते हों।

(3) पूर्णकालिक सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जो लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्त या विधि के क्षेत्र में न्यूनतम बीस वर्षों का विशेषज्ञता और अनुभव रखते हों।

(4) अध्यक्ष और सभी सदस्य नियुक्त किए जाने से पहले इन नियमों में उपाबंध प्ररूप-1 में केंद्रीय सरकार को यह पुष्टि करते हुए घोषणा करेंगे कि उनकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसी नियुक्ति के संबंध में कोई हितों का विरोध या स्वतंत्रता में कमी नहीं है, ऐसा नहीं होने पर उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अपनी नियुक्ति के दौरान और ऐसी नियुक्ति की समाप्ति के दो वर्ष बाद तक संबंधित परामर्शी फर्मों सहित किसी लेखा परीक्षा फर्म के सहयोगी नहीं होंगे।

(6) अंशकालिक सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका ऐसे कोई वित्तीय या अन्य हित जिससे इनके अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो, नहीं होंगे।

4. नियुक्ति की पद्धति - (1) केंद्रीय सरकार अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति नियम 3 में निर्दिष्ट जांच-सह-चयन समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, करेगी -

(क) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष;

(ख) प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव - सदस्य;

(ग) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य

(घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (पूर्णकालिक सदस्यों के चयन के लिए) - सदस्य;

(ङ) लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्त, विधि या संबंधित विषयों के क्षेत्र में विशेषज्ञों के पैनल से प्रतिष्ठित तीन विशेषज्ञ (केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले) - सदस्य।

(2) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव जांच-सह-चयन समिति के संयोजक होंगे।

(3) जांच-सह-चयन समिति सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

(4) अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति, जांच-सह-चयन समिति में मात्र किसी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं की जाएगी।

(5) जांच-सह-चयन समिति अध्यक्ष या सदस्यों, की यथास्थिति नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित होने की तारीख से एक सौ बीस दिनों से अनाधिक अवधि में केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिश करेगी।

(6) निम्नलिखित व्यक्ति प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्-

(i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्य, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो, पदेन;

(ii) भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्य, जो महालेखाकार या मुख्य निदेशक के पद से नीचे न हो, पदेन;

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्य, जो कार्यकारी निदेशक के पद से नीचे न हो, पदेन;

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्य, जो कार्यकारी निदेशक के पद से नीचे न हो, पदेन;

(v) अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, पदेन;

(vi) अध्यक्ष, लेखांकन मानक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, पदेन;

(vii) अध्यक्ष, लेखांकन एवं आश्वासन मानक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, पदेन; और

(viii) लेखा-कर्म, लेखापरीक्षा, वित्त या विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो सदस्य;

5. **स्वास्थ्य मानक** - किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित न किया गया हो।

6. **त्याग पत्र** - अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय केंद्रीय सरकार को संबोधित करते हुए लिखित त्याग पत्र द्वारा अपने कार्य से पदत्याग कर सकते हैं।

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान न की गई हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या जब तक उस कार्यालय में कोई व्यक्ति अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं हो जाता या उसके कार्यकाल की अवधि के समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, कार्यालय में कार्यरत रहेगा।

7. **कार्यालय से हटाना** - (1) केंद्रीय सरकार नियम 4 के उपनियम (1) में निर्देशित समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को निम्नलिखित कारणों से कार्यालय से हटा सकती है -

(क) दिवालिया घोषित होने पर; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर जो, केंद्रीय सरकार की राय के अनुसार नैतिक अधमता में शामिल हो; या

(ग) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित करना जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ङ) लोक हित के विपरीत कार्यालय में अपना कार्यकाल जारी रखने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने पर:

परंतु अध्यक्ष हितबद्ध सदस्य ऐसी समिति के सदस्य नहीं होंगे, जहां मामले का विषय उनके विरुद्ध हो।

(2) उप नियम (1) के खंड (ख) से (ङ) के उपबंधों के अधीन किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि मामले में सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

8. अध्यक्ष या सदस्य के दुर्यवहार या अक्षमता की जांच प्रक्रिया - (1) यदि केंद्रीय सरकार को अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य से संबंधित दुर्यवहार या कार्यालय में कार्य करने में अक्षमता संबंधी आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय ऐसी शिकायत की प्राथमिक जांच करेगा।

(2) यदि प्राथमिक जांच में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की यह राय है कि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के ऐसे दुर्यवहार या अक्षमता की सत्यता की जांच करने के उचित आधार है, तो वह यह मामले नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन गठित समिति को जांच करने के लिए यह मामला भेजेगा:

परंतु अध्यक्ष हितबद्ध सदस्य ऐसी समिति के सदस्य नहीं होंगे, जहां मामले का विषय उनके विरुद्ध हो।

(3) समिति अपनी जांच एक सौ बीस दिन या ऐसे अतिरिक्त समय जो समिति की ओर से अनुरोध किये जाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ाया गया हो, के भीतर पूरी करेगी।

(4) जांच की समाप्ति के पश्चात्, समिति केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें समिति अपने निष्कर्ष और संपूर्ण मामले पर अपनी टिप्पणियों सहित प्रत्येक आरोपों के लिए पृथक कारण उल्लिखित करेगी।

(5) समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में विहित प्रक्रियाओं द्वारा आबद्ध नहीं है किंतु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी और समिति के पास स्वयं की प्रक्रिया नियंत्रित करने के अधिकार होंगे जिसमें तारीख, स्थान और जांच का समय नियत करना भी शामिल है।

9. **पदावधि** - (1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल उसके कार्यालय में नियुक्त होने की तारीख से तीन वर्ष या उनके पैसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा, और वह एक और सेवा अवधि के लिए पुनः नियुक्त होने के पात्र होंगे।

(2) प्रत्येक अंशकालिक सदस्य के कार्यकाल की अवधि उसके नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट अनधिक तीन वर्ष या उसके स्थायी पद, जिसके आधार पर उसे अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था, की अवधि तक, जो भी पहले हो, होगा, किंतु वह पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

10. **रिक्ति** - अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य कार्यालय रिक्त होने की स्थिति में, केंद्रीय सरकार के पास वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य पूर्णकालिक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्यालय में नियुक्त करने का अधिकार होगा।

11. **वेतन और भत्ते** - (1) अध्यक्ष को दो लाख पचास हजार रुपए (नियतन) का वेतन दिया जाएगा और उसे दिए जाने वाले अन्य भत्ते और फायदा समान वेतन वाले पद पर कार्य करने वाले किसी केंद्रीय सरकार के अधिकारी को अनुजेय भत्ते और फायदे के अनुसार होंगे।

(2) पूर्णकालिक सदस्य को दो लाख पच्चीस हजार रुपए का वेतन संदत्त किया जाएगा और उसे दिए जाने वाले भत्ते और फायदा भारत सरकार के समान वेतन वाले समूह 'क' पद पर कार्य करने वाले किसी केंद्रीय सरकार के अधिकारी को अनुमेय भत्ते और फायदे के अनुसार होंगे।

(3) यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त करता हो, ऐसे व्यक्ति का वेतन उसके द्वारा ली जा रही सकल पेंशन राशि से कम कर दी जाएगी।

12. **पेंशन, उपदान और भविष्य निधि** - (1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, अंशदान भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 और अंशदान पेंशन प्रणाली के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(2) प्राधिकरण में दी जा रही सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगी।

13. छुट्टी - (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य निम्नलिखित छुट्टी के हकदार होंगे :-

(क) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष सेवा की समाप्ति पर तीस दिन का अर्जित अवकाश;

(ख) किसी कैलेंडर वर्ष में आठ दिन से अनधिक का आकस्मिक अवकाश।

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का भुगतान केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य का वर्तमान अर्जित अवकाश संबंधी नकदी भुगतान के हकदार इस शर्त के अधीन होंगे कि सेवानिवृत्ति के समय उनकी अधिकतम अवकाश नकदी जिसमें पूर्व सेवा से प्राप्त राशि भी शामिल है, किसी भी रूप में केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।

14. अवकाश और विदेश यात्रा स्वीकृति प्राधिकारी.- छुट्टी अनुमोदन प्राधिकारी-

(क) पूर्ण-कालिक सदस्य के लिए अध्यक्ष, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर केंद्रीय सरकार; और

(ख) अध्यक्ष के लिए केंद्रीय सरकार।

2. अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्यों की विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति प्राधिकारी केंद्रीय सरकार होगी।

15. गृह किराया भत्ता.- अध्यक्ष या पूर्ण-कालिक सदस्य गृह किराया भत्ता उसी दर पर प्राप्त करने के हकदार होंगे जो भारत सरकार के समूह 'क' के समान वेतनमान प्राप्त अधिकारी को देय होता है।

परंतु यदि अध्यक्ष या पूर्ण-कालिक सदस्य सामान्य पूल रिहायशी आवास के पात्र घोषित किए गए हैं और वे आंबटित सरकारी आवास में रह रहे हैं, तो गृह किराया भत्ता के पात्र नहीं होंगे।

16. **परिवहन भत्ता.-** कर्मचारी कार नियम के लागू उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार में धारित समूह 'क' पद के अधिकारी जो समान वेतन पर हैं, को ग्राह्य सुविधाओं के अनुसरण में अध्यक्ष या पूर्ण-कालिक सदस्य, शासकीय या निजी यात्राओं के प्रयोजन हेतु स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

17. **वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा.-** अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, अपनी आस्तियों और दायित्वों और वित्तीय तथा अन्य हितों की घोषणा करेंगे।

18. **सेवा की अन्य शर्तें.-** (1) अध्यक्ष और पूर्ण-कालिक सदस्य की सेवाओं की निबंधन और शर्तें जिसके संबंध में कोई स्पष्ट उपबंध इन नियमों में नहीं बनाए गए हैं वे ऐसे होंगे, जो केंद्रीय सरकार में समूह 'क' अधिकारी के रूप में पद धारित किए और समान वेतनमान पर हैं।

2. अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या प्राधिकरण की सेवा से हटाए जाने पर प्राधिकरण के समक्ष व्यवसाय नहीं करेंगे।

3. अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, प्राधिकरण में कार्य करने के दौरान कोई मध्यस्थता का कार्य नहीं करेंगे।

4. अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, अपने पद पर न रहने की तारीख से दो वर्ष के लिए व्यक्ति जो प्राधिकरण के समक्ष प्रक्रियाओं में पक्षकार रहे हैं, से संबंधित प्रबंधन या प्रशासन में या किसी नियोजन को स्वीकार नहीं करेंगे।

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 खंड (45) में यथापरिभाषित किसी केंद्रीय राज्य या प्रांतीय अधिनियम या सरकारी कंपनी के अधीन या द्वारा स्थापित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण या कोई निगम के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगा।

19. पद और गोपनीयता की शपथ.- अध्यक्ष या पूर्ण-कालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा तथा हस्ताक्षर करेगा।

20. अंश-कालिक सदस्यों को सिटिंग फीस और भत्ते.-

1. सदस्य से भिन्न पदेन आधार पर पदधारित अंशकालिक सदस्य से भिन्न सदस्य प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक जिसमें वे भाग लेते हैं, के लिए सिटिंग फीस के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार होंगे।

2. अंशकालिक सदस्य दौरे के दौरान (जिसमें प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा शामिल है) यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उसी दर और स्केल जो केंद्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में लागू है, को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

21. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह आदेश द्वारा कारणों को लिखित में दर्ज करके किसी श्रेणी या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

22. निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है उन पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप 1

(नियम 3 देखें)

अध्यक्ष और सदस्य द्वारा हित में विरोधाभास या स्वतंत्रता में कमी होने की घोषणा

में क.ख. प्राधिकरण का अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य/अंशकालिक सदस्य नियुक्त होने पर घोषणा करता हूं कि मेरी नियुक्ति के संबंध में हितों में कोई विरोधाभास या स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं है।

8-

प्ररूप 2

(नियम 19 देखें)

पद की शपथ का प्ररूप

मैं क.ख., जो प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्ण-कालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर ईश्वर को साक्षी मान कर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/शपथ लेता हूं कि मैं प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी उत्तम योग्यता, ज्ञान और निर्णय से बिना डर या पक्ष, भाव या दुर्भावना के करूंगा और मैं संविधान और देश के कानून को सर्वोपरि रखूंगा।

प्ररूप 3

(नियम 19 देखें)

गोपनीयता की शपथ

मैं क.ख., जो प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्ण-कालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर ईश्वर को साक्षी मान कर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/शपथ लेता हूं कि मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मामला, जो मेरे विचार हेतु लाया जाएगा या मुझे प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य के रूप में ज्ञात होगा संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा सिवाय उसके जो मेरे कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपेक्षित हो।

[फा.सं. 1/4/2016-सीएल.।]

के.वी.आर. मूर्ति
21/3/18

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार